बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

आदेश

श्री वीरेन्द्र कुमार बर्खास्त सहायक निबंधक पूर्व जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद को दिनांक 24.07.1992 को 5,000/–रू. घुस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने एवं विशेष न्यायाधीश निगरानी के आदेश दिनांक 20.12.1999 में दोषी मानते हुए तीन वर्षो का कारावास एवं 10,000/–रू. का आर्थिक दण्ड दिये जाने के आलोक में श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना संख्या 3861 दिनांक 16.09.2008 के द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

2. श्री कुमार द्वारा विशेष न्यायाधीश निगरानी के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में फौजदारी अपील संख्या 11/2000 दायर कर चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए श्री कुमार को दण्डादेश से मुक्त कर दिया। तदोपरांत निगरानी विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. संख्या 7914/2013 दायर किया गया जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2014 को खारिज कर दिया गया।

3. श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका 4883/2013 दायर कर फौजदारी अपील संख्या 11/2000 में पारित किये आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 3861 दिनांक 16.09.2008 के द्वारा सेवा से बर्खास्त किये गये दंड को निरस्त करने एवं बकाये वेतनादि (Back wages) के भुगतान का अनुरोधं किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.11.2014 को आदेश पारित कर चार सप्ताह के अन्दर श्री वीरेन्द्र कुमार को सेवा में पुनस्थापित करने तथा पिछले बकाये वेतन (Back wages) के भुगतान के संबंध में सकारण आदेश पारित करने का आदेश दिया गया।

4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका 4883/2013 में दिनांक 10.11.2014 को पारित आदेश के आलोक में श्री वीरेन्द्र कुमार को सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, के पद पर तत्कालीक प्रभाव से विभागीय आदेश ज्ञापांक 64 दिनांक 06.01.2015 द्वारा पुनस्थापित (Reinstate) कर दिया गया है।

5. बर्खास्तगी के आदेश से पुर्नस्थापन की तिथि तक के बकाये वेतन के भुगतान के संबंध में विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के केस रणछोड जी चतुर जी ठाकुर बनाम अधिक्षण अभियंता गुजरात विद्युत बोर्ड, बलदेव सिंह बनाम केन्द्र सरकार एवं अन्य, सुखदेव पाण्डेय बनाम केन्द्र सरकार एवं अन्य एवं केन्द्र सरकार बनाम जयपाल सिंह जो क्रमशः (1996) 11SCC-603,AIR 20006SC-531, (2007) 7 SCC-455 तथा (2004) (1) SCC-121 रिर्पोटेड है के आधार पर श्री कुमार को बकाये वेतन (Back wages) के भुगतान के योग्य नहीं माना है। विधि विभाग का अन्त में परामर्श है :–

In the present case, once he had disabled himself from rendering his service on account of conviction and incarceration in jail the question of back wages upon subsequent

acquittal did not arise. Based on the same the Apex Court in another judgment reported in **(2004) (1) SCC-121 (Union of India Vs. Jaipal Singh)** held that an employee having involved in a criminal case and convicted by a Court of law cannot continue in service and the State Government under it's service rules, is obliged to dismiss him from service. Hence such dismissal cannot be faulted merely on the basis of a subsequent acquittal in appeal. That being so there can not be any entitlement for back wages.

उपर्युक्त परामर्श के आलोक में श्री कुमार के बकाये वेतन (Back wages) के दावे को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि इसकी प्रति निबंधित डाक के माध्यम से श्री वीरेन्द्र कुमार सेवानिवृत सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, को भेज दी जाय।

ह0/-

(चैतन्य प्रसाद)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 1915 /पटना, दिनांक 15.06.2015
01/रा.स्था. (7) योगदान 20/12 सह.

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11.6.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 1915 /पटना, दिनांक 15.06.2015

प्रतिलिपिः– सरकार के अवर सचिव वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11.6.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 1915 /पटना, दिनांक 15.06.2015

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री सहकारिता के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

11.6.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 1915 /पटना, दिनांक 15.06.2015

प्रतिलिपिः– श्री वीरेन्द्र कुमार, पूर्व जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद पता–फ्लैट नं॰ 201 जगदेवन कुंज अपार्टमेन्ट न्यू पुनाई चक, राजवंशी नगर पो॰+थाना शास्त्रीनगर, पटना/निबंधक, सहयोगस समितियाँ, बिहार, पटना/सरकार के सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी प्रबंध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक लि./सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/विशेष पदाधिकारी, बिहार लोक सेवा आयोग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1
GP
11-6-15

11.6.15
सरकार के उप सचिव।